

एडवांस टेक्निकल एण्ड इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर

(ए प्रीमियर इन्स्टीट्यूट ऑफ पीथमपुर ऑटो क्लस्टर)
Affiliated by DGET - 6/12/07/2008-TC,
Dated 14/8/14



पीथमपुर ऑटो क्लस्टर

(म.प्र. शासन का उपक्रम)
(भारत सरकार के डिपार्टमेन्ट ऑफ
इंडस्ट्रीयल पॉलिसी एवं प्रमोशन की
आई.आई.यू.एस. के अंतर्गत स्थापित)

**विवरणिका
2019-20**

Message From MD'S Desk



N.K. Sharma

“ Welcome to Pithampur Auto Cluster, Indore- An innovative concept of Government of India- PPP Model - a unique combination of private industrialist with Government authorities.”

PAC- Facilitating to create a new era of auto world, address the needs of the existing large automobile spectrum as well as the future potential, necessary advanced infrastructural facilities. Now it has been completed fully still the advancement is continuing process. the change is continuing process.

This change is symbolic... a change to reciprocate the trust our industries have shown in us... a change to continue to provide the best of service along with contemporary products at faster speed. The preliminary stage of completion of project components at PAC is over and its time to take things to the next level. PAC is expected to continue its journey to accomplish the object of government of india.

PAC also aspires to become one of the most preferred AUTO MOBILE HUB & TRAINING CENTRE in the country. the team at PAC is young, dynamic as well as experienced and and ready to take it on. Life here means passion to excel in all aspects- the passion become the most innovative organization and the passion to achieve the impossible through teamwork! Empowerment and Growth remain our driving factors.

I welcome each one of you to be part of this journey as we “take it on”.

Managing Director

एडवांस टेक्निकल एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर

भूमिका

पीथमपुर ऑटो क्लस्टर मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम है। इस कम्पनी की स्थापना भारत सरकार की औद्योगिक अधोसंरचना प्रोन्नयन योजना (IIUS) के अंतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार एवं उद्योगपतियों के सक्रिय सहयोग से की गई है। पीथमपुर ऑटो क्लस्टर के संचालक मण्डल में औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में स्थापित वृहत उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है।

वर्तमान परिवेश में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के ऑटो मोबाईल उद्योगों को कुशल एवं दक्ष व्यक्तियों की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पीथमपुर ऑटो क्लस्टर द्वारा उन्नत तकनीकों पर आधारित एक एडवांस टेक्निकल एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना नवम्बर, 2007 से की गई है, जिसमें नेशनल काउन्सिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिसटेंट (कोपा) तथा स्वसंचालित कोर्स एवं शासन द्वारा प्रायोजित विभिन्न निःशुल्क आवासीय कोर्स कंडेस कोर्स इन टूल एण्ड डाय मेकिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन सी.एन.सी. टर्निंग एण्ड मिलिंग, सी.एन.सी. मशीनिस्ट, एडवांस डिप्लोमा इन केड केम, आदि व्यवसायों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम दो वर्ष है। उक्त ट्रेनिंग सेंटर ऑटो मोबाईल उद्योगों की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल एवं दक्ष व्यक्तियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ट्रेनिंग सेंटर की प्रारम्भिक आठ बेच के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों की दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण हो चुकी है, जिसमें से 100% छात्रों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार उपलब्ध हो चुका है। नवी बेच जो कि जुलाई, 2019 में पूर्ण होगी उसमें भी वार्षिक परीक्षा के पूर्व ही वर्तमान में 100% छात्रों का चयन (campus selection) हो चुका है। इस प्रकार उक्त ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने की प्रबल सम्भावना रहती है।

इस आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर में उपरोक्त दर्शाये गये सभी व्यवसायों पर लेटेस्ट टेक्नालॉजी मशीनों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षणार्थी ऑटो मोबाईल उद्योगों एवं अन्य उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार बिना किसी परेशानी के कार्य संपादित कर सकेंगे अथवा अपना स्वयं का व्यवसाय भी प्रारम्भ कर अपना भविष्य बेहतर बना सकने में सफल हो सकेंगे।

प्रबंध संचालक

ए.टी.आई.टी.सी. द्वारा संचालित कोर्सेस एवं
प्रवेश हेतु योग्यता संबंधी विवरण

क्र.	कोर्स कोड	कोर्स/व्यवसाय	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कोर्स अवधि (माह)*	न्यूनतम आयु सीमा (दिनांक को) 01.07.19	वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क (रु.)*
01.	MACH	Machinist	10 th Pass	24	16	28000/-
02.	ELEC	Electrician	10 th Pass	24	16	20000/-
03.	FITT	Fitter	10 th Pass	24	16	20000/-
04.	WELD	Welder	10 th Pass	12	17	15000/-
05.	COPA	Computer Operator & Prog. Asstt.	10 th Pass	12	17	12000/-

उपरोक्त सभी कोर्स पूर्णकालिक है। (7.5 घंटा प्रतिदिन)
छात्रवृत्ति शासन के नियम/प्रक्रिया अनुसार देय।

पाठ्यक्रम विवरण :-

- मशीनिस्ट (Machinist) :** इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थी को कन्वेंशनल तथा सी.एन.सी. मशीन संचालित करने में प्रवीणता दिलाना है। यह कोर्स सी.एन.सी. टर्निंग तथा मिलिंग मशीन (CNC Turning & Milling Machine) के प्रवीणता पूर्वक संचालन पर आधारित है। इस कोर्स को करने के उपरांत प्रशिक्षणार्थी सी.एन.सी. मशीन को स्वयं संचालित कर सकेगा एवं उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप सही कल-पूर्ज बना सकने में सक्षम हो सकेगा।
- इलेक्ट्रीशियन (Electrician) :** विद्युत मशीनरी उपकरण स्थापित करता है, मरम्मत करता है और कारखानों में फिटिंग, वर्कशॉप पावर हाउस, व्यवसाय और आवासीय परिसर आदि का अध्ययन, विद्युत सर्किट, स्थापना विवरण आदि का निर्धारण करने के लिए चित्र और विनिर्देश पदों और इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ट्रांसफार्मर, स्विचगियर्स स्थापित करता है। स्विचबोर्ड और अन्य बिजली के उपकरण, फिटिंग और प्रकाश व्यवस्था जुडनार। कनेक्शन और विक्रेता टर्मिनल बनाता है। परीक्षण बिजली के प्रतिष्ठानों और उपकरणों और ताले का उपयोग करता है जो कि बर्गर, टेस्ट लैप आदि का उपयोग करता है। मरम्मत या दोष पूर्ण तारों की जगह, फ्यूज और दोषपूर्ण भागों को जला दिया और फिटिंग और कार्यक्रम में जुडनार। आर्मेचर वाइंडिंग कर सकते हैं, तार और केबल खींच सकते हैं और साधारण केबल कर

सकते हैं। बिजली की मोटरों, पंपों आदि का परिचालन, रखरखाव और रखरखाव करना।

प्रशिक्षणार्थी स्वयं का रोजगार भी आसानी से प्रारम्भ कर सकता है।

3. फिटर (Fitter) : इस पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, उम्मीदवारों को निम्नलिखित उद्योगों में आसानी से नियोजित किया जाएगा :-

1. उत्पादन और विनिर्माण उद्योग।
2. स्ट्रक्चरल फ्रेब्रिकेशन जैसे ब्रिज, रुफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन।
3. ऑटोमोबाईल और संबद्ध उद्योग।
4. सेवा उद्योग जैसे सडक परिवहन और रेलवे।
5. जहाज निर्माण और मरम्मत।
6. अवसंरचना और रक्षा संगठन।
7. भारत और विदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे भेल, बीईएमएल, एनपीटीसी आदि और निजी उद्योग।
8. स्वरोजगार।

4. वेल्डर (Welder) : इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार की वेल्डिंग मशीन को संचालित करने में प्रवीणता दिलाना है। इस कोर्स में प्रशिक्षणार्थियों को अर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, CO_2 वेल्डिंग इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कोर्स को करने के पश्चात् विभिन्न प्रकार के उद्योगों में रोजगार की प्रबल संभावनाएँ होती हैं तथा साथ ही प्रशिक्षणार्थी स्वयं का रोजगार भी आसानी से प्रारम्भ कर सकता है।

5. कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा): COPA में कम्प्यूटर और इंटरनेट से जुडी जानकारी जैसे ऑफिस, Programming Languages, Computer Operating, Basic hardware and software, Data Entry, Tally, IT Act आदि कई चीजों की जानकारी दी जाती है। प्रोग्रामिंग और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सिद्धांतों और प्रथाओं के ज्ञान को लागू करता है ताकि उनके काम के दौरान आने वाली समस्याओं की पहचान और हल किया जा सके। वे प्रबंधकों या पेशेवरों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अन्य श्रमिकों की भी देखरेख कर सकते हैं। इस व्यवसाय में प्रशिक्षण लेने के बाद कम्प्यूटर से जुडे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त होगा, जैसे - कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इत्यादि। इसके अलावा आप चाहे तो स्वयं का व्यवसाय भी प्रारम्भ कर सकते हैं, जैसे - सायबर केफे, कम्प्यूटर क्लासेस, कम्प्यूटर सॉफ्टवेअर तथा हार्डवेअर इत्यादि।

सत्र अगस्त 2019 के लिए
एडवांस टेक्निकल एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश हेतु विवरण

सामान्य जानकारी :-

1. ए. टी.आई.टी.सी. द्वारा आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर पी.ए.सी. द्वारा प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जाता है।
2. प्रवेश का आधार :- ए. टी.आई.टी.सी. द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी। आवेदकों का अंतिम चयन शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक, ए. टी.आई.टी.सी. द्वारा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में प्रदर्शन एवं प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर किया जावेगा।
3. प्रशिक्षण की अवधि व्यवसायों के अनुसार दो वर्ष की होगी।
4. शैक्षणिक स्कूल/कालेजों की तरह इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश अथवा कोई लम्बी अवधि का अवकाश नहीं रहेगा।
5. प्रवेश लेने के बाद किसी भी पूर्णकालीन प्रशिक्षणार्थी को किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अथवा परीक्षा में नियमित/स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
6. प्रत्येक विषय में अलग-अलग न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत होना अनिवार्य है, इससे कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में नियमित/स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
7. लगातार 10 दिवसों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर निलम्बन की कार्यवाही की जावेगी।
8. सेंटर से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकने के लिए सेंटर प्रबंधक/सेंटर हेड एवं उनसे उच्च अधिकारी अधिकृत होंगे।
9. प्रशिक्षण प्राप्त करते समय यदि प्रशिक्षणार्थी को कोई चोट/हानि पहुँचती है, तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

आवेदन पत्र :-

1. सत्र अगस्त, 2019 में आवेदकों को पाठ्यक्रम/व्यवसायवार अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन पत्र भरने के पूर्व समस्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जावे। आवेदन पत्र में व्यवसाय के नाम में कांट-छांट स्वीकार नहीं की जावेगी ऐसा होने पर आवेदन पत्र निरस्त हो जावेगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक ए. टी. आई. टी. सी. कार्यालय से कार्यालयीन समय में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।
2. संस्था के नियमित आवेदन प्रपत्र पर ही आवेदन किया जाना अनिवार्य है। आवेदन का प्रारूप पूर्व निर्धारित है, किसी अन्य प्रारूप में आवेदन करने पर आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र एवं विवरणिका कार्यालयीन समय में दिनांक 27.07.2019 तक शुल्क रुपये 500/- भुगतान कर प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित, जैसे शैक्षणिक अर्हता की प्रमाणित अंकसूची तथा अन्य प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें। संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न होने पर आवेदन पत्र स्वमेव निरस्त हो जावेगा। आवेदक को मूल निवासी प्रमाणपत्र की छायाप्रति एवं मूल प्रति (सत्यापन हेतु) प्रेषित करनी होगी।
4. आवेदन पत्र के साथ अभिलेखों की मूल प्रतियां संलग्न न की जावें। मूल प्रतियों की आवश्यकता केवल प्रवेश के समय होगी। अतएव प्रवेश के समय अंकसूची व अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां आवश्यक रूप से लेकर आवें।
5. सेंटर से कार्यालयीन समय में प्रवेश विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि पूर्व निर्धारित है। इस तिथि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की जानकारी सेंटर के सेंटर प्रबंधक/सेंटर हेड से प्राप्त की जा सकती है।
6. यदि आवेदक डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र की पावती चाहता है तो उसे स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपये टिकट लगा लिफाफा आवेदन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा पावती नहीं भेजी जावेगी।

ए. टी. आई. टी. सी. में प्रवेश की पद्धति :-

1. प्रवेश के लिए प्रावीण्यता सूची, व्यवसायवार निर्धारित न्यूनतम योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जावेगी।
2. ए. टी. आई. टी. सी. द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी। आवेदकों का अंतिम चयन शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक, ए. टी. आई. टी. सी. द्वारा आयोजित लिखित प्रवेश परीक्षा, साक्षात्कार में प्रदर्शन एवं प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर किया जावेगा।
3. व्यवसायों में प्रवेश हेतु मेरिट में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में गणित, विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर क्रम बनाया जायेगा।
4. व्यवसायों के प्रवेश हेतु परीक्षा में 10 वीं तक के पाठ्यक्रम पर आधारित गणित, विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जावेंगे।
5. प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश की सूचना ए. टी. आई. टी. सी. के सूचना पटल तथा अधिकृत वेबसाइट पर प्रवेश की सुविधा चस्पा की जावेगी।
6. प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने पर आवेदक का आवंटित व्यवसाय पर अधिकार समाप्त हो जावेगा।
7. निर्धारित तिथियों के पश्चात्, अपूर्ण अथवा निर्धारित प्रवेश नियमों के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा, जिनकी कोई सूचना आवेदक को नहीं दी जावेगी।

प्रमाण पत्रों की जानकारी :-

प्रवेश के समय आवेदक को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां (जो लागू हो) जांच के लिए लाना होगी। इनके अभाव में प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

1. व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित अंकसूची/अंकसूचियां।
2. अंतिम शैक्षणिक संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)
3. मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र
4. आधार कार्ड की छाया प्रति।
5. समग्र आई डी की छाया प्रति।
6. यदि आवेदक की शैक्षणिक योग्यता का परिणाम अप्रत्याशित हो उस दशा में प्रवेश के तीन माह के अंतराल में इस संस्था में परिणाम जमा कराना आवश्यक रहेगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त कर प्रवेश शुल्क, कॉशन मनी इत्यादि राजसात कर ली जायेगी।

जमानत राशि :-

1. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को भर्ती के समय रुपये 2000/- (राशि रुपये दो हजार मात्र) जमानत राशि (कॉशन मनी) के रूप में जमा करने होंगे, जिसकी पावती दी जावेगी। यह राशि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ही पावती प्रस्तुत करने पर लौटाई जा सकेगी परन्तु यदि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी जानबुझकर साज-समान को गुम करता है या टूट फूट करता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा अथवा किसी भी कारण से प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देता है तो यह राशि राजसात कर ली जायेगी। साथ ही व्यवसाय परिवर्तन की स्थिति में भी राशि राजसात की जावेगी।
2. गुम हुई या टूट फूट होने वाली सामग्री के मूल्य की पूर्ति यदि इस राशि से नहीं होती है तो शेष राशि अलग से वसूल की जावेगी।
3. प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के तीन वर्ष तक यदि वह राशि वापिस नहीं ली जा सकी तो फिर नियमानुसार यह राजसात की जायेगी एवं राज्य कोषालय में जमा करा दी जावेगी।

कोर्स शुल्क

प्रशिक्षणार्थियों से निम्नानुसार वार्षिक शुल्क लिया जायेगा :-

क्र.	कोर्स कोड	कोर्स/व्यवसाय	*प्रथम इन्सटालमेंट (रु.) प्रवेश के समय	द्वितीय इन्सटालमेंट (रु.) (प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारम्भ में)	वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क (रु.)
01.	MACH	Machinist	14000/-	14000/-	28000/-
02.	ELEC	Electrician	10000/-	10000/-	20000/-
03.	FITT	Fitter	10000/-	10000/-	20000/-
04.	WELD	Welder	7500/-	7500/-	15000/-
05.	COPA	Computer Operator & Prog. Asst.	6000/-	6000/-	12000/-

*प्रवेश के समय वार्षिक शुल्क की प्रथम किश्त के साथ कॉशनमनी रु. 2000/- देय होगी।

*परीक्षा शुल्क प्रति विषय **NCVT** के नियमानुसार पृथक से परीक्षा पूर्व देय रहेगी।

नोट :-

1. एक बार फीस जमा करने के पश्चात् किसी भी कारण से प्रशिक्षण बीच में छोड़ देने पर फीस लौटाई नहीं जावेगी।
2. फीस जमा करने के नोटिस के 15 दिवस के अंदर जमा कराना होगी, फीस जमा न करने की दशा में रु. 200/- विलम्ब शुल्क प्रति माह/ किश्त देरी पर रोपित किया जावेगा तथा नियत तिथि के 20 दिवस पश्चात् भी फीस जमा न करने की दशा में निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी छात्र की रहेगी।
3. कॉशन मनी प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ही पावती प्रस्तुत करने पर लौटाई जा सकेगी। कॉशन मनी भुगतान के लिए प्रशिक्षणार्थियों को संस्था प्रमुख/सेन्टर प्रबंधक द्वारा जारी की गई **N.O.C.** प्रस्तुत करनी होगी।
4. संस्था में होस्टल व बस सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। प्रशिक्षणार्थियों को रहने आने जाने की व्यवस्था स्वयं करना होगी।
5. प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित नियमों का पालन प्रशिक्षणार्थियों को करना होगा।
6. एक माह अवधि तक प्रवेश पूर्ण रूप से अस्थाई होगा एवं जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के प्रति रुझान नहीं पाया जायेगा, उन्हें एक सूचना के बाद संस्था से मुक्त/निष्कासित कर दिया जावेगा।

निष्कासन :-

1. प्रवेश के समय अथवा इसके पश्चात् भी चाही गई आवश्यक जानकारी / प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत न करने पर
2. प्रस्तुत जानकारी/प्रमाण पत्र इत्यादि संस्था द्वारा गलत/भ्रामक पाये जाने पर (आवश्यकतानुसार) प्रकरणों को उचित आगामी कार्यवाही के लिए भेजा जा सकता है।
3. संस्था के कार्यशाला, पठन-पाठन में लापरवाही, अनुशासनहीनता या दुराचरण करने पर।
4. प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति अथवा प्रगति असंतोषजनक होने पर अथवा अन्य किसी भी कारण से व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अयोग्य पाये जाने पर।
5. तीन माह के अंतराल में 24 टेस्ट में से 18 टेस्ट में पास होना अनिवार्य है।
6. प्रशिक्षणार्थी द्वारा बिना सूचना के इस्टिट्यूट से लगातार अनाधिकृत 10 दिवस अनुपस्थित पाया जाना।
7. आवेदक को भर्ती के पूर्व अथवा प्रशिक्षण अवधि में पुलिस अथवा न्यायालय के किसी भी प्रकरण से संबंधित होना पाये जाने पर।
8. प्रवेश के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच में शिकायत सही पाये जाने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

परीक्षा हेतु सूचनाएँ :-

1. नियमित प्रशिक्षणार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. व्यवसाय में प्रायोगिक परीक्षा के अतिरिक्त ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशाप केलकुलेशन एण्ड साइंस तथा एम्प्लायबिलिटी स्किल इत्यादि की परीक्षाएँ भी होती हैं, जिसमें अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा सैद्धांतिक विषयों में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
4. अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु DGET के निर्देशानुसार कुल 04 प्रयास दिए जाते हैं। 01 प्रयास नियमित परीक्षार्थी तथा 03 पूरक परीक्षार्थी के रूप में दिए जाते हैं।
5. यदि परीक्षार्थी किसी एक प्रयास में अथवा 1+3 अतिरिक्त प्रयासों को पूरक परीक्षार्थी के रूप में पूर्ण नहीं करता है या ट्रेनिंग पूर्ण होने में 1.5 वर्ष पूर्ण होने पर उसका पंजीकरण रद्द हो जायेगा।

प्रशिक्षणार्थियों को अवकाश पात्रता :-

1. एक वर्ष में 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, एक बार में अधिकतम 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश अन्य किसी अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकेगा।
2. **चिकित्सा अवकाश :-** रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्ट्रीशनर/असिस्टेन्ट सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर 15 दिवस अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। गंभीर बीमारी की दशा में एक वर्षीय कोर्स में तीन सप्ताह तथा दो वर्षीय कोर्स में छः सप्ताह अधिकतम अवकाश डाक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि प्रशिक्षणार्थी बीमारी के कारण दो माह तक गैर हाजिर रहता है, तो उसे संस्था से निष्कासित कर दिया जावेगा।
3. **विशेष अवकाश :-** 10 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों में एक वर्षीय पाठ्यक्रम में 15 दिवस तक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम में 30 दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा।

प्रशिक्षण पद्धति :-

ए.टी.आई.टी.सी. विशिष्ट उद्योगों में दक्ष तकनीशियनों की मांग की पूर्ति करने के लिए प्रशिक्षण संचालित करती हैं। प्रशिक्षण प्रणाली दक्षता आधारित होगी जिसके तहत प्रशिक्षणार्थी बहुकौशल दक्षताएं अर्जित कर सकेंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य ऐसे कुशल तकनीशियनों का निर्माण करना है जो बाजार की आधुनिक कौशल दक्षता मांग की पूर्ति के लिए सक्षम हो।

1. प्रशिक्षण की कुल अवधि निम्न प्रकार रहेगी :-

कोर्स का नाम	अवधि
01. Machinist (NCVT)	2 वर्ष
02. Electrician	2 वर्ष
03. Fitter	2 वर्ष
04. Welder	1 वर्ष
05. Computer Operator & Prog. Asst.	1 वर्ष

2. प्रशिक्षण की अवधि में प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएं लगेगी।
3. संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं संस्था में आयोजित की जावेगी एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को ही संस्था का प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

नोट

1. प्रशिक्षणार्थियों को किसी भी प्रकार की जानकारी ए.टी.आई.टी.सी. प्रबंधक अथवा संस्था के मुख्यालय पीथमपुर ऑटो क्लस्टर के संबंधित अधिकारियों से प्राप्त हो सकती हैं।
2. ए.टी.आई.टी.सी. के मुख्यालय पीथमपुर ऑटो क्लस्टर के प्रबंध संचालक को ए.टी.आई.टी.सी. के किसी भी प्रकार के प्रबंधन अथवा संचालन से संबंधित निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार रहेगा।

प्राचार्य
ए.टी.आई.टी.सी.

PLACEMENT

ए.टी.आई.टी.सी. इन्दौर द्वारा प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है, जो प्रशिक्षणार्थियों को स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों में रोजगार प्रदान करने में सहायता करती है।

कुछ प्रमुख उद्योगों की सूची जिनमें ए.टी.आई.टी.सी. प्रशिक्षणार्थियों का रोजगार हेतु चयन किया गया है, निम्नानुसार है :-

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| - आयशर मोटर्स लि. पीथमपुर | - कच्छ मोटर्स, पीथमपुर |
| - कमिन्स टर्बो टेक्नोलॉजीस, देवास | - नीलकमल लि., सिलवासा |
| - फोर्स मोटर्स लिमिटेड, पीथमपुर | - पेनॉसोनिक लि., पीथमपुर |
| - होण्डा कार लिमिटेड, भिवाडी | - महाले मिग्मा, पीथमपुर |
| - पीनेकल इण्डस्ट्रीज, पीथमपुर | - टी. जी. डब्ल्यू, पीथमपुर |
| - एड्राइट लिमिटेड, इन्दौर | - विराज स्टील्स, मुम्बई |
| - कमिन्स टर्बो टेक्नोलॉजीस, पीथमपुर | - जे.बी.एम., अहमदाबाद |
| - लिगांग इण्डिया प्रा. लि., पीथमपुर | - महिन्द्रा टू व्हीलर, पीथमपुर |
| - आयशर मोटर्स, देवास | - शक्ति पम्प्स, पीथमपुर |
| - सुजुकी मोटर्स, अहमदाबाद | - वी. ई. कमर्शियल, पीथमपुर |
| - मदरसन, पीथमपुर | - हेट्टिक, पीथमपुर |

फोटो

एडवांस टेक्निकल एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर

(ए प्रीमियर इन्स्टीट्यूट ऑफ पीथमपुर ऑटो क्लस्टर)

हरनियाखेडी, सर्वे नंबर 113/2-बी, वेटरनरी कॉलेज के सामने, ए.बी.रोड, महु (म. प्र.)

(प्रवेश हेतु आवेदन पत्र - सत्र अगस्त 2019)

क्रमांक

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

- व्यवसाय जिसमें आप प्रवेश चाहते हैं
- जो लागू हो उसपर सही का चिन्ह लगायें एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें
 - सा अजा अजजा अपिव
 - हिन्दू मुस्लिम इसाई बौद्ध सिक्ख जैन अन्यसा-सामान्य, अजा-अनुसूचित जाति, अजजा-अनुसूचित जनजाति, अपिव-अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर)
- आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : _____
(अंग्रेजी में) : _____
- माता/पिता/पति/पालक का नाम एवं मोबाईल नं. _____
आधार नं. _____ समग्र आई. डी. _____
- पत्राचार का पता _____
_____ पिन कोड _____
- आवेदक का स्थायी पता _____
_____ पिन कोड _____ फोन नं. _____ मोबाईल नं. _____
- लिंग :- महिला पुरुष (सही निशान लगाये)
- जन्म तिथि :- अंकों में
जन्म तिथि :- शब्दों में _____ (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रमाणित प्रति का क्रमांक
1.	हाईस्कूल सर्टिफिकेट				
2.	हायर सेकेण्ड्री सर्टिफिकेट				
3.	आई. टी. आई.				
4.	अन्य या उच्च योग्यता				

घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने प्रवेश के संबंध में सभी निर्देश ज्ञात कर लिए हैं तथा आवेदन पत्र की सम्पूर्ण जानकारी मेरे विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि मुझे प्रवेश प्राप्त होता है तो मैं संस्था के नियमों एवं अनुशासन का पालन करते हुए पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी जो देश/प्रदेश/संस्था की शांति एवं अनुशासन के विपरीत हो अन्यथा मुझे संस्था से निष्कासित किया जा सकेगा।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के माता/पिता/पति/
पालक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1. 2.
3. 4.
5. 6.

नोट :- संस्था के निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर ही आवेदन किया जाना अनिवार्य है। आवेदन का प्रारूप पूर्व निर्धारित है, किसी अन्य प्रारूप में आवेदन करने पर आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र एवं विवरणिका कार्यालयीन समय में दिनांक 27.07.2019 तक शुल्क रुपये 500/- भुगतान कर प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं।

पावती

(आवेदक द्वारा भरा जावे)

नाम _____ माता/पिता/पति/पालक का नाम _____

पता _____

व्यवसाय _____ के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

(कार्यालय द्वारा भरा जावे)

आवक क्रमांक दिनांक

हस्ताक्षर

प्रवेश प्रभारी,

एडवांस टेक्निकल एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर

Advance Technical & Industrial Training Centre

नियम एवं अनुशासन

ए.टी.आई.टी.सी.के सभी विद्यार्थियों को नीचे लिखे गए नियमों और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है नियमों का पालन नहीं किए जाने पर आपके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि इन्स्टीट्यूट के नियमों का पालन करें।

1. सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत होना अनिवार्य है। अगर उपस्थिति 80 प्रतिशत नहीं हुई तो उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा।
2. तीन माह के अंतराल में 24 में से 18 टेस्ट में पास होना अनिवार्य है।
3. 25 प्रतिशत अंक विद्यार्थी की गतिविधियाँ, व्यवहार एवं कार्य के अनुसार दिए जावेंगे।
4. प्रवेश लेने के बाद किसी भी पूर्णकालीन प्रशिक्षणार्थी को किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अथवा परीक्षा में नियमित/स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. प्रशिक्षण प्राप्त करते समय यदि प्रशिक्षणार्थी को कोई चोट/हानि पहुंचती है, तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
6. लगातार 10 दिवसों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।
7. एक माह की अवधि तक प्रवेश पूर्ण रूप से अस्थाई होगा एवं जिन प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण के प्रति रुझान नहीं पाया जायेगा, उन्हें एक सूचना के बाद संस्था से मुक्त किया जा सकेगा।
8. फीस जमा करने के नोटिस के 15 दिवस के अंदर फीस जमा कराना होगी, फीस जमा न करने की दशा में रु. 200/- विलम्ब शुल्क प्रति इन्स्टालमेंट रोपित किया जावेगा तथा नियत तिथि के 20 दिवस पश्चात् भी फीस न जमा करने की दशा में निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी छात्र की रहेगी।
9. प्रशिक्षण बीच में छोड़ने अथवा निष्कासित किये जाने पर कौशन मनी की राशि वापस नहीं की जावेगी।
10. संस्था में मोबाईल का उपयोग वर्जित है एवं मोबाईल चालू पाये जाने की दशा में प्रशिक्षणार्थी पर जुर्माना रु. 300/- रोपित किया जावेगा।
11. संस्था के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर उनके विरुद्ध प्राचार्य/सेंटर हेड/प्रबंध संचालक, पीएसीएल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी जो कि (1) निलंबन, (2) निष्कासन, (3) परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना, (4) अर्धदण्ड इत्यादि हो सकता है।
12. सभी विद्यार्थियों को इन्स्टीट्यूट द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में आना अनिवार्य है। किसी भी विद्यार्थी को इन्स्टीट्यूट द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में नहीं पाये जाने पर जुर्माना रुपये 50/- प्रतिदिन रोपित की जावेगी।
13. विद्यार्थी द्वारा इन्स्टीट्यूट में हुए नुकसान के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उसे इन्स्टीट्यूट द्वारा जुर्माना देना होगा।
14. संस्था में गुटखा, सुपारी, सिगरेट, पाऊच, पान, माउथफ्रेशनर आदि किसी भी छात्र के पास पाये जाने पर जुर्माना रुपये 50/- रोपित किये जावेंगे।
15. विद्यार्थी की प्रशिक्षण एवं अनुशासन संबंधी रिपोर्ट प्रति तीन माह में तैयार की जाती है। अतः विद्यार्थी के पालक को प्रति तीन माह में एक बार इन्स्टीट्यूट में उपस्थित होकर विद्यार्थी की प्रगति की समीक्षा करना अनिवार्य है। यदि समय-समय पर विद्यार्थी के पालक द्वारा प्रगति रिपोर्ट नहीं ली जाती है तो उसके परिणाम के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
16. द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए, प्रथम वर्ष के सभी विषय पास करना अनिवार्य है।
17. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रथम वर्ष के कोई दो या अधिक विषय में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे द्वितीय वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

घोषणा पत्र

इन्स्टीट्यूट में विद्यार्थी के अध्ययन हेतु मेरे (पालक का नाम) द्वारा उपरोक्त नियमों/अनुशासन के बिन्दुओं को पढा गया है, जिनका विद्यार्थी द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जावेगा एवं इनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर इन्स्टीट्यूट के सेंटर हेड/प्रबंध संचालक, पीथमपुर ऑटो क्लस्टर के निर्णय को अन्तिम निर्णय माना जायेगा।

Student's Name :

Trade :

Parent's/Guardian's Contact No.

Parent's/Guardian's Sign.



प्रवेश के समय प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा पत्र
(शपथ पत्र)

मैं पिता श्री

व्यवसाय सत्र - अगस्त 2019, संस्था
..... में प्रवेश लेना चाहता/चाहती हूँ।

मैं यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि प्रशिक्षण के दौरान यदि मुझे किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट/हानि पहुँचती है, तो वह मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

मैं संस्था/निगम के उपर किसी भी प्रकार की होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु अपना दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करुंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

पिता/पालक के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

Advance Technical & Industrial Training Centre

नियम एवं अनुशासन

ए.टी.आई.टी.सी.के सभी विद्यार्थियों को नीचे लिखे गए नियमों और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है नियमों का पालन नहीं किए जाने पर आपके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि इन्स्टीट्यूट के नियमों का पालन करें।

1. सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत होना अनिवार्य है। अगर उपस्थिति 80 प्रतिशत नहीं हुई तो उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा।
2. तीन माह के अंतराल में 24 में से 18 टेस्ट में पास होना अनिवार्य है।
3. 25 प्रतिशत अंक विद्यार्थी की गतिविधियाँ, व्यवहार एवं कार्य के अनुसार दिए जावेंगे।
4. प्रवेश लेने के बाद किसी भी पूर्णकालीन प्रशिक्षणार्थी को किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अथवा परीक्षा में नियमित/स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. प्रशिक्षण प्राप्त करते समय यदि प्रशिक्षणार्थी को कोई चोट/हानि पहुंचती है, तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
6. लगातार 10 दिवसों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।
7. एक माह की अवधि तक प्रवेश पूर्ण रूप से अस्थाई होगा एवं जिन प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण के प्रति रुझान नहीं पाया जायेगा, उन्हें एक सूचना के बाद संस्था से मुक्त किया जा सकेगा।
8. फीस जमा करने के नोटिस के 15 दिवस के अंदर फीस जमा कराना होगी, फीस जमा न करने की दशा में रु. 200/- विलम्ब शुल्क प्रति इन्स्टालमेंट रोपित किया जावेगा तथा नियत तिथि के 20 दिवस पश्चात् भी फीस न जमा करने की दशा में निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी छात्र की रहेगी।
9. प्रशिक्षण बीच में छोड़ने अथवा निष्कासित किये जाने पर कौशन मनी की राशि वापस नहीं की जावेगी।
10. संस्था में मोबाईल का उपयोग वर्जित है एवं मोबाईल चालू पाये जाने की दशा में प्रशिक्षणार्थी पर जुर्माना रु. 300/- रोपित किया जावेगा।
11. संस्था के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनुशासन भंग किये जाने या दुश्चरण किये जाने पर उनके विरुद्ध प्राचार्य/सेंटर हेड/प्रबंध संचालक, पीएसईएल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी जो कि (1) निलंबन, (2) निष्कासन, (3) परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना, (4) अर्थदण्ड इत्यादि हो सकता है।
12. सभी विद्यार्थियों को इन्स्टीट्यूट द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में आना अनिवार्य है। किसी भी विद्यार्थी को इन्स्टीट्यूट द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में नहीं पाये जाने पर जुर्माना रुपये 50/- प्रतिदिन रोपित की जावेगी।
13. विद्यार्थी द्वारा इन्स्टीट्यूट में हुए नुकसान के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उसे इन्स्टीट्यूट द्वारा जुर्माना देना होगा।
14. संस्था में गुटखा, सुपारी, सिगरेट, पाऊच, पान, माउथफ्रेशनर आदि किसी भी छात्र के पास पाये जाने पर जुर्माना रुपये 50/- रोपित किये जावेंगे।
15. विद्यार्थी की प्रशिक्षण एवं अनुशासन संबंधी रिपोर्ट प्रति तीन माह में तैयार की जाती है। अतः विद्यार्थी के पालक को प्रति तीन माह में एक बार इन्स्टीट्यूट में उपस्थित होकर विद्यार्थी की प्रगति की समीक्षा करना अनिवार्य है। यदि समय-समय पर विद्यार्थी के पालक द्वारा प्रगति रिपोर्ट नहीं ली जाती है तो उसके परिणाम के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
16. द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए, प्रथम वर्ष के सभी विषय पास करना अनिवार्य है।
17. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रथम वर्ष के कोई दो या अधिक विषय में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे द्वितीय वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

घोषणा पत्र

इन्स्टीट्यूट में विद्यार्थी के अध्ययन हेतु मेरे (पालक का नाम) द्वारा उपरोक्त नियमों/अनुशासन के बिन्दुओं को पढा गया है, जिनका विद्यार्थी द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जावेगा एवं इनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर इन्स्टीट्यूट के सेंटर हेड/प्रबंध संचालक, पीथमपुर ऑटो क्लस्टर के निर्णय को अन्तिम निर्णय माना जायेगा।

Student's Name :

Trade :

Parent's/Guardian's Contact No.

Parent's/Guardian's Sign.

PARENT'S/
GUARDIAN'S
PHOTO

PITHAMPUR AUTO CLUSTER

List of Directors

S.NO.	Name	Designation
1	Shri Vivek Porwal, IAS	MD, MPIDC, Bhopal
2	Shri Kumar Purushottam	ED, MPIDC, Indore
3	Shri Binod Kumar	Under Secretary, DIPP, GOI
4	Shri Gautam Chand Kothari	President, Pithampur Audhyogik Sangthan
5	Shri Umesh Dwivedi	President, Commercial & Operations, Signet Industries Ltd., Indore
6	Shri Devendra Jain	Director, Porwal Auto Components Ltd., Indore
7	Shri Rajiv Shrimal	Director, Diversitech General Engineering Pvt. Ltd.,
8	Shri B B Gupta	Director, indo Toolings Pvt. Ltd., Indore
9	Shri Arvind Joshi	Director, Sandhar Technologies Ltd., Indore
10	Shri Nrapendra Kumar Sharma	MD, Pithampur Auto Cluster, Indore



ट्रेनिंग सेन्टर :

हरनियाखेड़ी, सर्वे नंबर-113/2-बी,
वेटनरी कॉलेज के सामने, ए.बी. रोड़, महू (म.प्र.)
फोन : 07324276114

ई मेल : mdpacl@gmail.com, atitcindore@gmail.com
Website : www.pithampurautocluster.com

रजिस्टर्ड कार्यालय : 126, कंचनबाग, होटल क्राउन पैलेस के सामने, इन्दौर